Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal

@2023 International Council for Education Research and Training
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
ISSN: 2959-1376
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

वर्तमान संदर्भ में डा. बी.आर. अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

कुमार, राकेश
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, जी.एम.एन. कॉलेज अंबाला कैंट

सार–संक्षेप

''राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है, जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अन्तर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।'' . डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

डॉ. भीम राव अंबेडकर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वह एक विद्वान, लेखक, क्रांतिकारी, संविधान निर्माता और परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में जाने जाते है। उन्होंने अपने जीवन में छुआछूत और जाति प्रथा के बारे में बहुत संघर्ष किया, क्योंकि उन्हें छुआछूत और जाति के संदर्भ में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसलिए वह चाहते थे कि दलित समाज के लिए ऐसे सार्थक आयाम स्थापित किये जाए जिससे भविष्य में वे अपने जीवन में इस प्रकार के विकारों के शिकार न हो। इसलिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से परिवर्तन को समाज में स्थापित किया जा सके। और यह परिवर्तन संविधान में ऐसे प्रावधान करने से होगा, जिसमें सभी को समान अवसर और सुविधाएँ प्राप्त हो। देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वच्छ समाज, भातृत्व एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना अति आवश्यक है। भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन मानव समाज की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने शताब्दियों से भारत में चले आ रहे रूढ़िवादी का समूल नाश करने का प्रयास करते हुए, दलितों के एक बड़े वर्ग को संविधान में समानता का दर्जा प्रदान कराने का महान् कार्य किया, साथ ही परतंत्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास स्वरूप लेखों व अपने महान विचारों द्वारा दलित वर्ग को संगठित करने का सफल कार्य भी पूर्ण किया। इसके साथ ही समाज उद्धारक तथा सामाजिक चेतना को जागृत करने तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के क्षेत्र में उनकी अहम् भूमिका रही। अम्बेडकर साहब ने अनेक ऐसे सृजनात्मक राजनीतिक आयाम स्थापित किये, जिससे समाज में एक नई चेतना का विकास हुआ। उनके आर्थिक विचार समाज में समानता स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुए। राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रवाद के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। उनके अनुसार एक आदर्श समाज तथा राष्ट्रीय एकता तभी स्थापित हो सकती, जब समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा।

मुख्य शब्दः— *परिवर्तन, अवसर, समानता, विचार, राष्ट्रवाद, समाज, संविधान।*

डा. भीम राव अम्बेडकर अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। विश्व में अनेक ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने न केवल संसार का मार्गदर्शन किया, बल्कि सम्पूर्ण समाज पर अपने महान व्यक्तित्व की अमिट छाप भी छोड़ी। जिससे प्रभावित होकर मानव समाज उन महापुरुषों के निवार्ण के पश्चात् भी कृतार्थ होता रहा है।

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले इस व्यक्तित्व ने समाज में परिवर्तन के लिए एक परिपक्व नेतृत्व की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव समाज की सेवा में अर्पित किया। उन्होंने शताब्दियों से भारत में चले आ रहे शोषण और रूढ़िवादी विचारधारा को परिवर्तित कर समाज में संविधान के माध्यम से समानता के अक्ष को स्थापित किया।

भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के प्रारूप की रचना करने जैसे जटिल कार्य को अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा सम्पन्न कर उन्होंने जहां अपनी विद्वता प्रकट की, वहीं यह भी सिद्ध किया कि ज्ञान किसी समुदाय या वर्ग की निजी सम्पति नहीं है। इस पर प्रत्येक समुदाय एवं वर्ग का अधिकार है। बशर्ते वह इस योग्य हो। इसके साथ–साथ उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक विकारों को दूर करके समाज में समानता स्थापित की। साथ ही राजनीति, आर्थिक और महिला उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये। उनके इन विचारों को निम्न संदर्भों में स्पष्ट किया जा सकता है।

संविधान के प्रारूप की रचनाः

भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया गया। जिसकी स्थापना 1946 में मंत्रिमंडल मिशन योजना के अन्तर्गत की गई थी। इस संविधान सभा की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों के तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। प्रांतों के 296 सदस्यों के चुनाव जुलाई, 1946 में करवाए गए। इसमें से 212 स्थान कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को एवं 11 स्थान अन्य दलों को प्राप्त हुए। कांग्रेस की इस सफलता को देखकर मुस्लिम लीग को बड़ी निराशा हुई, और उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय किया। 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा का विधिवत् उद्घाटन किया गया। 11 दिसम्बर 1946 को डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरु ने संविधान सभा ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किए। संविधान निर्माण में अनेक समितियों का गठन किया गया था। जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है।

संविधान सभा की समितियों की नियुक्ति– संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 1946 से लेकर 23 दिसम्बर 1946 तक; दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक; तीसरा अधिवेशन 22 अप्रैल, 1947 से 2 मई, 1947 तक; चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक हुआ। पाँचवां अधिवेशन 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक जारी रहा। इन अधिवेशनों में काफी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन अधिवेशनों में संविधान सभा की कुछ समितियों की नियुक्ति की गई, जो कि निम्नलिखित हैं–

(*i*) संघीय शक्तियाँ समिति

(*ii*) संघीय संविधान समिति

(*iii*) प्रांतीय संविधान समिति

(*iv*) अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित परामर्शदाता समिति

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

(v) संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समिति

(vi) चीफ कमिश्नर के प्रांतों से सम्बन्धित समिति

(A) संविधान का पहला प्रारूप– यह संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता बी.एन. राव के निर्देशन में संविधान सभा के कार्यालय के द्वारा तैयार किया गया। प्रारुप तैयार करने से पहले कार्यालय में लगभग 60 देशों के संविधानों के संबंध में महत्पूर्ण तथ्य तीन ग्रन्थों में प्रकाशित किए और उनकी प्रतिलिपियाँ सभा के सदस्यों को दी। प्रथम प्रारूप तैयार होने के पश्चात् संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने संवैधानिक परामर्शदाता बी.एन.राव. को विश्व के प्रमुख संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श के लिए अमेरिका, कनाडा, आयरलैण्ड तथा इंग्लैंड अनेक आदि देश में भेजा।

(B) संविधान सभा का दर्जा– 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया और इस तरह भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के अनुसार, ''इस एक्ट द्वारा भारत के लिए कोई नया संविधान नहीं बनाया गया'' बल्कि यह एक्ट केवल आदेशात्मक अधिनियम या अर्थात् इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अपने–अपने देश के लिए संविधाान बनाने की पुनः शक्ति मिल गई।'' स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद संविधान सभा की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब इस पर किसी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध नही था। अब संविधान सभा को केवल दो रूपों में कार्य करना था। एक तो भारत का संविधान बनाना था और दूसरा भारत के लिए साधारण कानूनों का निमार्ण करना था। इस तरह से इसे संविधान सभा एवं संसद के रूप में कार्य करना था। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया और इसके बाद वह कानून बनाने का कार्य करती रही।

(C) मसौदा समिति– संविधान सभा का पांचवा अधिवेशन 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक चला अलग–अलग समितियों के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस समिति के 6 अन्य सदस्य भी नियुक्त हुए–(1) गोपाल स्वामी आयंगर, (2) अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, (3) के. एम. मुन्शी, (4) सैयद मोहम्मद सादुला, (5) एन. माधवा राव, बी.एल. मित्रे की मसौदा समिति की प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए संविधान सभा की सदस्यता समाप्त होने जाने के कारण 5 दिसम्बर 1947 को एन. माधवा को बी.एल. मित्रे के स्थान पर मनोनीत किया गया। (6) टी.टी. कृष्णामचारी

इस समिति के द्वारा तैयार किये गए मसौदे पर 15 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में विचार आरम्भ हुआ। मसौदे में संषेाधन के लिए 7,635 प्रस्ताव पेष किए गए जिनमें से 2,473 पर विचार किया गया। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवम्बर, 1949 को आरम्भ हुआ और 26 नवम्बर, 1949 को डॉ0 अम्बेडकर द्वारा संविधान को पारित करने के लिए रखा गया प्रस्ताव पास हुआ। इस पर डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के 11 अधिवेषन हुए और उसने 165 दिनो तक इस पर

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

विचार किया भारत का संविधान बनाने मे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनो का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागु किया गया।

जन नेता के रूप में: डॉ0 अम्बेडकर ने महांड में दलितों के विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में किशोर से लेकर वृद्ध तक भाग लेने आए। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि दलित वर्ग अपने अधिकार प्राप्त करने हेतू प्रयत्नशील है आवश्यकता है तो उन्हें संगठित करने की। इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने कहा कि दलित वर्ग का अशिक्षित होना ही उसकी राह का रोड़ा है। वास्तव में वे साहस, योग्यता और कर्मठता में किसी से कम नहीं है। लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण वे शोषित हो रहे हैं। ईश्वर की दृष्टि में भी भेदभाव करना या दूसरों को स्पर्श योग्य न समझना अपराध है। अम्बेडकर के जोशीले, मार्मिक तथा विद्वतापूर्ण भाषण का दलितों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

समाज में समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने अनेक सार्थक प्रयास किये। दलित वर्ग को उनके अधिकार दिलाना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसलिए उन्होनें लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि शिक्षा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं बढ़कर है। शिक्षा के माध्यम से ही अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे उन्होंने कहा कि जीवन में उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। संघर्ष करने से व्यक्ति को अपनी मंजिल प्राप्त होती है। तीसरा उन्होंने कहा कि संगठित रहो। क्योंकि संगठित होकर ही हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।

डा. अम्बेडकर ने कृषि एवं कृषकों की समस्या का भी बहुत गहराई से विश्लेषण किया। भारतीय संदर्भ में अपने समाजशास्त्रीय आर्थिक चिन्तन में उन्होंने कृषक समस्याओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे कृषि को जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण उद्योग मानते थे। उनके अनुसार कृषि प्राचीन उद्योग है। और अन्य उद्योग कृषि पर ही आधारित हैं। कृषि उत्पादन से संबंधित कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याएँ होती है। जैसे कि खेतों में क्या पैदा किया जाए, उत्पादन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए। अम्बेडकर के अनुसार भारत में दो समस्याएँ हैं जो यहाँ के किसानों को प्रभावित करती हैं। पहली समस्या बिखरे हुए खेतों की और दूसरी समस्या छोटे खेतों की। जिससे किसानों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय अर्थशास्त्री आर. के. दास को उद्धरित करते हुए डा. अम्बेडकर ने बताया कि 1930 में अनुमान लगाया गया था कि खेतों के लायक देश में जितनी जमीन है, उसका 70 प्रतिषत भाग बेकार हुआ पड़ा है। और केवल 30 प्रतिषत पैदावार ही हो पाती है। 1939 में ब्रिटिश शासक भारत में कुल 35 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि ऐसी थी, जिस पर खेती की जा सकती थी। जबकि केवल 59 प्रतिषत भूमि पर फसल पैदा की गई। शेष जमीन उपयोग में नही ला जा रही थी। इसलिए किसानों को जमीन एकीकृत करने की समस्या थी, साथ ही उत्पादन कम होने की समस्या। डा.

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

अम्बेडकर भूमि से जुड़ी किसानों की समस्या को दूर करना चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने बम्बई की काऊंसिल में एक विधेयक भी पेश किया। इससे स्पष्ट होता था कि कृषकों के प्रति कितने प्रयासरत थे। परन्तु 17 सितम्बर 1937 को बम्बई विधानसभा की बैठक में विधायक डा. अम्बेडकर को खोटी व्यवस्था के उन्मूलन हेतू विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मिली। इसमें उन्होंने कहा कि कृषि से राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, उसे खोटी व्यवस्था कहा जाता है। उनका उन्नमूलन होना चाहिए और रैयतवाड़ी व्यवस्था के सिद्धान्तों को लागू किया जाना चाहिए। और यह उस क्षेत्र के लिए अधिक लाभप्रद है, जहां खोटी व्यवस्था चालू है। खोटी व्यवस्था उन्नमूलन विधेयक जिसमें प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित थी।

1. इसके तरह यह विधेयक बम्बई प्रेसीडैंसी में लागू किया गया।

2. इस धारा के अन्तर्गत खोटी व्यवस्था का उन्नमूलन बारे प्रावधान किया है जिसका अधिसूचना जारी वाले दिनांक से कार्य माना जायेगा।

3. खोटी को खोटी के रूप के कार्य करना कानून सम्मत नहीं।

4. अधिसूचना के बाद खोटी राजस्व के दायित्व के भागी नहीं होंगे।

5. (i) इसमें खोटी की अधिकारों की पूर्ति बारे प्रावधान किया गया है परन्तु भू–राजस्व संहिता के तरह ही यह नियम लागू हो।

(ii) सरकार का निर्णय अन्तिम वे खोटी को ऋण पत्र किस रूप में प्रदान करे सरकार पर आधारित हो।

6. खेती व्यवस्था पर कब्जा बनाऐ हुए लोगों को जो भूमि उनके अधिकार में है धारा 3 (16) 1879 ऊपर लागू होगी।

7. दखलकारी अधिकारों के दावों से सम्बन्धित झगड़ों का निर्णय

8. दखलकारी के अधिकारों को धारा 8(6) में सुरक्षा का प्रावधान

9. 1, 2, 3, 4, 5 में अधीनस्थ धारकों के झगड़े बारे प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भूमि अधिग्रहण के नियम के तहत यह सब प्रावधान किया गया है।

10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अधीनस्था धारकों के निर्देश जिनमें दखलकारी दावे को रद्द कर दिया गया सम्बन्धित अधिकारी कलेक्टर के मध्य से कार्यकारी को नोटिस भेजकर केस की सुनवाई करता है।

11. लोगों द्वारा ब्यान दाखिल करना 1, 11 (2) 1920 से हर वर्ष की सर्वेक्षित संख्यानुसार पारित की तिथि 11(3) खेत के दावे व हम के उल्लेख का प्रावधान है।

12. ब्यान के साक्ष्य का प्रावधान किया गया है।

13. इसके तहत ब्यान न देने बारे दण्ड व जुर्माने का प्रावधान है।

14. प्रमाणित प्रतिलिप व सबूत एकत्र करने का प्रावधान है।

15. सरकार को कानून बनाने के अधिकार सुरक्षित किये गये है। 15(2) 3, 4, 5 में प्रपक्ष, विषय वस्तु, मुआवजे की राशि, फैसलों के अभिकरण की स्थापना,

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

दस्तावेज प्रस्तुत करने, गवर्नमैंट गजट के पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्तों का प्रावधान है। 15 (3) के अन्तर्गत इन कानून में फेरबदल या रद्द का प्रावधान सुरक्षित किया गया है।

भीमराव अम्बेडकर के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता: सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक चेतना को जागृत करने में भीमराव अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर्वप्रथम उनका उद्देष्य अछूतों को स्वर्णों की भांति अधिकार दिलाना था, ताकि दलित वर्ग सम्मानजनक व सुखद जीवन व्यतीत कर सके, और उनका शोषण न हो। सदियों से दलित वर्ग तिरस्कार झेलता रहा, लेकिन अब उसे वे अधिकार मिलने चाहिए, जिससे वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि समाज में समानता और समन्वय का होना अति आवश्यक है। तभी समाज से तनाव समाप्त होगा। समाज का विकास केवल एक पहलू से पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए अने क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करना होगा, तभी सामाजिक परिवर्तन स्थापित होगा।

डा. अम्बेडकर एक सार्थक परिवर्तन में विश्वास करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने समाज से छुआछूत को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके। इसके लिए संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया कि केवल संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही जातिगत अन्तर समाप्त होगा। भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद के अन्तर्गत छुआछूत की समाप्ति की गई। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि जाति तथा छुआछूत के आधार पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देगा या उल्लंघन करेगा उसे कानून द्वारा दण्डित किया जाएगा।

महिलाओं के संदर्भ में विचार: डॉ0 अम्बेडकर ने अपने समय में अपने सामाजिक वातावरण का गहराई से अध्ययन किया। सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति और क्रिया–कलापों को अनुभव किया और पाया कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई थी, उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। इसलिए महिला वर्ग को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना अति आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान में अंकित संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के 6 मौलिक अधिकार प्रदान किये गए। डॉ0 अम्बेडकर ने महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन प्रदान दिया। जिससे उन्हें अपनी शक्ति का आभास हो सके। राजनीतिक क्षेत्र में केवल वोट के अधिकार से ही महिला वर्ग सशक्त नहीं होगा, बल्कि अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता और निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, तभी समाज में समानता स्थापित होगी। डॉ0 अम्बेडकर के अनर्थक प्रयासों से ही महिलाओं को सुरक्षा और

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

स्थिति में व्यापक सुधार हुआ। इसी श्रृंखला में संसद के एक अधिनियम के द्वारा जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, क्योंकि सुधार का यह अन्तराल एक समय की उपज नहीं है, बल्कि एक लम्बे संघर्ष का सार्थक परिणाम है। डॉ अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री-पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिमंत्री रहते हुए 'हिंदू कोड बिल' संसद में प्रस्तुत किया और हिन्दू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिन्दू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यावहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है, वहीं आज भी महिलाएँ उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव हिंसा, समान कार्य के लिए असमान वेतन, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकार ना मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं।

इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है। उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया था।

डा. अम्बेडकर के राजनीति के संदर्भ में विचार: डा. अम्बेडकर सामाजिक लोकतंत्र के पक्ष में थे। उनके राजनीतिक विचार प्रासंगिक एवं सार्थक थे। उन्होंने अनुभव किया कि बिना राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता के आम आदमी का विकास नहीं हो सकता। इसलिए दलित वर्ग और महिलाओं को उचित स्तर पर राजनीति अधिकार प्रदान करने के बाद ही एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तब स्थापित होगी, जब समाज से जातिवाद को समाप्त किया जाए। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। समाज के दबे–कुचले लोगों को राजनीति में उच्च वर्ग के द्वारा भागीदार नहीं बनाया गया। जिससे वे तिरस्कार का एक लम्बे समय तक पात्र बने रहे। लेकिन डा. अम्बेडकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भेदभाव रहित राजनीति का पक्ष लिया। यही कारण है कि बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था की। उनका मिशन लोकतंत्र में समानता, अच्छा समाज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर समाज का पूर्ण विकास हो।

डा. भीम राव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन अपनी जाति एवं मानव समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा। आज के इस भौतिक जीवन में दलित वर्ग सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और समाज में समानता विद्यमान है। इसका श्रेय डा. अम्बेडकर को जाता है। भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि इस वर्ग

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

ने प्रारंभ से ही तिरस्कार को सहन किया है। क्योंकि समाज में प्रारंभ से ही एक वर्ग ऐसा रहा है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस जाति, वर्ग का शोषण करता रहा। इनके साथ जानवरो जैसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन डा. अम्बेडकर ने इस वर्ग में चेतना जागृत की, और उसे शिक्षित किया, जिससे वे सभी सम्मानपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सके। परन्तु यह परिवर्तन एक समय की उपज नही हैं, बल्कि एक लम्बे संघर्ष का सार्थक परिणाम है। वास्तव में यह परिवर्तन सन् 1956 के बाद आया, लेकिन इसका सृजनात्मक रूप 21वीं शताब्दी में प्रभावकारी हुआ। वर्तमान समय में इस वर्ग के लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित किया है, और संगठित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। समाज में गरिमापूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे है, और इन सभी का श्रेय डा. भीमराव अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसे समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के अधिकार स्तम्भ स्थापित किये गए है, जिससे पूरे समाज में समानता और स्वाभिमान व्याप्त है।

राजनीतिक क्षेत्रः डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है, तब तक सामाजिक चेतना का विकास भी संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में भी स्वीकार करते हैं, वे व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते हुए सत्ता के परिवर्तन को साधन मानते हैं। वे कहते थे कि कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की नहीं होती। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में 'नैतिकता' और 'सामाजिकता' दो प्रमुख मूल्य रहे हैं जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में बढ़ जाती है। दरअसल आज राजनीति में खींचा-तानी इतनी बढ़ गई है कि राजनैतिक नैतिकता के मूल्य गायब से हो गए हैं। हर राजनीतिक दल वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए राजनीतिक नैतिकता एवं सामाजिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के पश्चात इन सिद्धांतों को अमल में नहीं लाते हैं।

समानता को लेकर विचारः डॉ. अम्बेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए। वे मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। आज जब विश्व एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व में असमानता की घटनाएँ भी देखने को मिल रही हैं। इसमें कोई

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

दो राय नही है कि असमानता प्राकृतिक है, जिसके चलते व्यक्ति रंग, रूप, लम्बाई तथा बुद्धिमता आदि में एक-दूसरे से भिन्न होता है। लेकिन समस्या मानव द्वारा बनायी गई असमानता से है, जिसके तहत एक वर्ग, रंग व जाति का व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझ संसाधनों पर अपना अधिकार जमाता है। यूएनओ द्वारा इस संदर्भ में प्रति वर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो आज भी समाज में व्याप्त असमानता को प्रकट करता है। भारत में इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है। यह समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध करा सकें, इसके लिए शोषित, दबे-कुचलों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अम्बेडकर के समानता के विचार न सिर्फ उन्हें भारत के संदर्भ में, बल्कि विश्व के संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाते हैं।

आर्थिक क्षेत्रः दरअसल आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं संपत्ति में व्यापक असमानता, अशिक्षा और अकुशल श्रम इत्यादि समस्याएँ व्याप्त हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर डॉ. अम्बेडकर के महत्वपूर्ण विचार को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है, The problem of the rupee : 15 origin and its solution नामक अपनी रचना में डॉ. अम्बेडकर ने 1800 से 1893 के दौरान, विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा (रुपये) के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की। आज के समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की समस्या से दो-चार हो रही है तो ऐसे में उनके शोध के परिणाम न सिर्फ समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं बल्कि वह इसके समाधान को लेकर आगे का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। अम्बेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख भारत में छोटी जोत और उनके उपचार (Small Holdings in India and their Remedies) में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जोतों का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उनके एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India) की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक सहज कर प्रणाली पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकारी राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्रत कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दें व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थानों को स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया उनकी स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का अहम योगदान रहा।

सामाजिक क्षेत्रः अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाये नहीं जा सकते जिसकी प्रासंगिकता आज तक जीवंत है। सामाजिक क्षेत्र में उनके विचारों की प्रासंगिकता को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

- अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण तथा गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की थी।
- अम्बेडकर का मत था कि समूह तथा कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है, वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है।
- इस व्यवस्था में कार्यकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जातीय आधार पर व्यक्तिफ़यों के कार्यों का पूर्व में ही निर्धारण हो जाता है।
- अन्तर्जातीय विवाह इस व्यवस्था में निषेध होते हैं।
- सामाजिक विद्वेष और घृणा के प्रसार से इस व्यवस्था को बल मिलता है।

उल्लेखनीय है कि इन भेदभावों के खिलाफ उन्होंने व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये भी संघर्ष किया।

शिक्षा संबंधित विचारः अम्बेडकर शिक्षा के महत्व से भली-भाँति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपने स्कूली जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी, जहाँ सम्पूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडम्बर से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जनकल्याण की भावना विकसित करने का होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण में भी योगदान दे सके। उल्लेखनीय है कि डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा संबंधित यह विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएँ बाधक न बन सके, इसके लिए मूलअधिकार के अनुच्छेद 21-A के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है।

अधिकारों को लेकर विचारः डॉ. अम्बेडकर अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए, लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ-साथ हमारा देश के प्रति कुछ कर्त्तव्य भी है। अधिकारों को लेकर उनके यह विचार वर्तमान समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दरअसल वर्तमान विश्व में सरकारें अपने नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती हैं, हालाँकि मौलिक अधि कारों के साथ-साथ मौलिक कर्त्तव्यों की भी बात की जाती है।

श्रमिक वर्ग के लिए कार्यः बाबा साहेब सिर्फ अछूतों, महिलाओं के अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेऽनीय कार्य किये। पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12-14 घंटों तक काम लिया जाता था। इनके प्रयासों से प्रतिदिन आठ घंटे काम करने का नियम पारित हुआ।

इसके अलावा उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि से भी सुधार हुए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मजदूरों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 334-344
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7609

के लगभग ज्यादातर श्रम कानून बाबा साहेब के ही बनाए हुए हैं, जो उनके विचारो को जीवंतता प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

डा. बी. आर अम्बेडकर एक महान चिन्तक, समाज सुधारक और झुझारू योद्धा होने के साथ–साथ एक अच्छे इतिहासकार, अर्थशास्त्री, लेखक और एक पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका अपना जीवन संघर्ष से परिपूर्ण था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को मानव जाति को समर्पित किया। उनके संघर्ष ने समाज में अनेक सुधार स्थापित किये। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये, जो आदर्श समाज की स्थापना में एक 'मील का पत्थर' साबित हुआ। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर आसीन होकर गरिमापूर्ण प्रावधान किये, जिसके तहत गरीब, अमीर, दलित, मजदूर और महिलाओं को कल्याणकारी अधिकार प्राप्त हुए। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर वास्तविक अर्थों में समाज के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत एवं परिवर्तन के अग्रदूत माने जाते है। डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफी संभावना झलकती है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों।

संदर्भ

- ब्रजकिशोर शर्मा, भारत का संविधान–एक परिचय, प्रेंटिस हाल आफ इंडिया, नई दिल्ली, 2005.
- राजू राज, बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर, तुलसी साहित्य पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2013.
- कल्पना राजा राम, भारत का संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, स्पेक्ट्रम बुक्स, नई दिल्ली, 2011.
- कुबेर डब्ल्यू एन, आधुनिक भारत के निर्माता डा. अम्बेडकर दिल्ली, 1996.
- लिमिये, चम्पा, वुमैन पावर एण्ड प्रोग्ररस, बी.आर. पब्लिशिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली, 1999.
- ''दि नेशनल पॉलिसी फॉर दि इम्पावरमैन्ट ऑफ वुमैन'', 2001''.
- आर.सी. अग्रवाल, संवैधानिक विकास एवं भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन, एस. चाँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1994.

Received on April 24, 2023
Accepted on June 20, 2023
Published on July 05, 2023